भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2363

सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार

2363. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वास्तव में 67वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) दौर की तुलना में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा दर्शाए गए 2010-11 के स्तर से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में ऐसे विनिर्माण प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि के होते हुए भी श्रमिकों की संख्या घट रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में बेरोजगारी कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) संचालित किया जाता है जो विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र में असंगठित तथा गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और प्रचालन विशेषताओं का विशेष रूप से आकलन करता है। विनिर्माण क्षेत्र सहित असंगठित, गैर-कृषि उद्यमों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या के विवरण सहित रिपोर्ट https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASUSE_2023_24_Full_Report-L.pdf पर उपलब्ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएँ) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर, विनिर्माण क्षेत्र सहित रोज़गार अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार, वर्ष 2018-19 में 5.52 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.31 करोड़ हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल वृद्धि लगभग 79.17 लाख है

(ङ): रोजगार सृजन जिसमें असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार भी शामिल है, के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****